प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स ....168/23.. दिनांक .....01/7/2023.....

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ....534..... समय .....7:00 PM.....
   (2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 30.06.2023 समय 1.15 पी.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.06.2023 समय 10.30 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – हस्तलिखित

5. घटना स्थल : –
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 455 किलोमीटर
   (2) पता – कार्यालय पटवार मण्डल, पीलादर तहसील सराडा जिला उदयपुर
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
   <u>परिवादी</u>
   (1) नाम : श्री प्रकाश मीणा
   (2) पिता का नाम : श्री लक्ष्मण जी मीणा
   (3) आयु : 32 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
   (6) व्यवसाय : दुकान
   (7) पता: ग्राम बोवस ग्राम पंचायत पीलादर तहसील सराडा जिला उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित:
   1. आरोपी श्री गणपत लाल मीणा पुत्र श्री शिवलाल मीणा उम्र–31 वर्ष मूल निवासी वार्ड नम्बर 8, गांव जहाजपुर तहसील व जिला प्रतापगढ (राज) हाल किराये का निवास मकान नम्बर 366, कृष्णा दूध डेयरी के पास, सुंदरवास, उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल पीलादर तहसील सराडा जिला उदयपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति

   1. भारतीय चलन मुद्रा के मकान के आबादी पट्टा का मौका पर्चा बनाने एवं उक्त मकान का आबादी पट्टा जारी करवाने की एवज् में श्री गणपत लाल मीणा पटवारी पटवार मण्डल पीलादर द्वारा 40,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। जिस पर रिश्वत राशि मांग की कार्यवाही की गई तो मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री गणपत लाल मीणा पटवारी द्वारा 36,000 रूपये रिश्वती राशी लेने हेतु स्वीकृति दी जाकर दौराने मांग सत्यापन 5,000 रूपये रिश्वत राशी ग्रहण की गई तथा शेष राशि में से कुछ हिस्सा दिनांक 30–06–2023 को लेने हेतु हेतु सहमत हुआ, जिस पर स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में टेप कार्यवाही की जाकर आरोपी गणपत लाल मीणा हाल पटवारी पटवार मण्डल पीलादर द्वारा दिनांक 30–06–2023 शेष मांग की गई रिश्वती राशि में से 20,000 रूपये ग्रहण करते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया था।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 20,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय ,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 27–6–2023 को समय करीब 10.30 ए.एम. पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के एसीबी हेल्पलाईन नम्बर 1064 पर प्राप्त शिकायत के संबंध में ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह राठौड को परिवादी श्री प्रकाश मीणा के मोबाइल नम्बर से अवगत करवाया गया, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया कि समय करीब 10.19 ए.एम. पर परिवादी श्री प्रकाश मीणा ने मुझसे इस सम्बन्ध में वार्ता की है। जिस पर ब्यूरों मुख्यालय द्वारा शिकायत का सत्यापन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया।

जिस पर दिनांक 28–6–2023 को समय करीब 9.04 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार परिवादी श्री प्रकाश मीणा से जरिये दूरभाष संपर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मुझे मेरे गांव बोवस स्थित मकान का पट्टा बनवाना है, जिसमें पटवारी साहब पीलादर श्री गणपत लाल द्वारा मौका पर्चा एवं पट्टा बनाने की एवज में मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं मेरे जायज कार्य के बदले पटवारी साहब को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ और उनको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने के लिए मैंने कार्यवाही हेतु एसीबी के हेल्पलाईन नम्बर पर कॉल किया तो उन्होंने मुझे आपके मोबाइल नम्बर देकर आपसे संपर्क करने हेतु कहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर उक्त पटवारी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि मुझे पटवारी साहब ने दिनांक 29–6–2023 को सुबह ही बुलाया है। मुझे सुबह पटवार मण्डल जाना है, अगर उदयपुर आउंगा तो समय लग जाएगा। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को श्री टीकाराम कानि के मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराते हुए परिवादी को अवगत कराया कि आप दिनांक 29.06.2023 को पटवार मण्डल जाने से पहले मेरे दिये गये नंबर पर संपर्क करना वो आपको सुबह करीब 9.30 ए.एम. पर पीलादर कस्बे में ही उपस्थित मिलेगा। आप उनसे संपर्क कर अपनी लिखित रिपोर्ट उनको देवें एवं उनके निर्देशानुसार डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर ही पटवार मण्डल में पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता करें। तत्पश्चात् समय करीब 7.30 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा श्री टीकाराम कानि को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर श्री टीकाराम को परिवादी की मौखिक शिकायत से अवगत करा रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु दिनांक 29–6–2023 को प्रातः 9.30 ए.एम. तक मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के कस्बा पीलादर पहुंच अग्रिम मांग सत्यापन वार्ता कार्यवाही एवं परिवादी से लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर लाने की हिदायत दी गयी।

दिनांक 29–6–2023 को समय करीब 12.30 पी.एम. पर श्री टीकाराम कानि मय परिवादी श्री प्रकाश मीणा ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हुए। श्री टीकाराम कानि ने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह राठौड के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आपके निर्देशानुसार मैं दिनांक 29–6–2023 को प्रातः डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर कस्बा पीलादर समय करीब 9.00 ए.एम. पर पहुंचकर समय 9.01 ए.एम. पर परिवादी से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो कुछ देर में पीलादर कस्बे में उपस्थित होना बताया। इसके कुछ देर बाद परिवादी से मेरा संपर्क हुआ और मैंने परिवादी को अपना परिचय देकर अपने आने के मंतव्य से अवगत कराते हुए उसकी शिकायत पर कार्यवाही हेतु लिखित रिपोर्ट मांगने पर परिवादी श्री प्रकाश ने मुझे हस्तलिखित हस्ताक्षरशुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो मैंने अपने पास सुरक्षित रखा एवं परिवादी को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से भलीभांति अवगत कराया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर समय करीब 10.01 ए.एम. पर आरोपी पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु पटवार मण्डल पीलादर के लिए रवाना किया गया। मैं पटवार मण्डल के बाहर ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के आने के इंतजार में रहा। जिस पर करीब 15 मिनट पश्चात् परिवादी पटवार मण्डल से बाहर आकर मेरे से मिला और मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद करके दिया, जो मैंने मेरे पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि पटवार मण्डल में पटवारी साहब मिल गये थे, जिन्होंने मेरे मकान के पट्टे बनवाने हेतु मौका रिपोर्ट करने के नाम पर 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 36,000 रूपये लेने हेतु सहमत हुए और 5,000 रूपये मुझसे मांगने पर मेरे द्वारा दिये, शेष राशि में से 20,000 रूपये और लेने हेतु दिनांक 30–6–2023 को सुबह 10 बजे बुलाया। जिस पर निर्देशानुसार हम दोनो रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित हुए है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाश मीणा से पूछा गया तो परिवादी द्वारा श्री टीकाराम कानि के कथनों की ताईद की। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री टीकाराम कानि द्वारा प्रस्तुत डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो रिश्वती राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डॉ सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो,

उदयपुर को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी का आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की मूल रिपोर्ट एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पुलिस निरीक्षक को सुपूर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 1.15 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को अपने कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर पढकर सुनायी एवं पढायी गयी तो उक्त रिपोर्ट इस आशय की थी कि '' मैं प्रार्थी प्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा निवासी ग्राम बोवस ग्राम पंचायत पीलादर तहसील सराडा जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ग्राम में बने हुए मकान के आबादी पट्टे के लिए पटवार मण्डल पीलादर के पटवारी श्री गणपत लाल मीणा को आवेदन किया था पटवारी साहब मेरे मकान के पट्टे का मौका पर्चा एवं पट्टा तैयार करने की एवज में 40,000 रूपये मांग रहे है। मैं अपने जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। भ्रष्ट पटवारी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। उनसे मेरा कोई पुराना लेनदेन बकाया नहीं है न ही मेरी पटवारी साहब से कोई रंजिश है। कृपया कानूनी कार्यवाही करानां फरमावे।'' उक्त रिपोर्ट के संबंध में परिवादी ने शब्द ब शब्द सही होना मान अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की उपस्थिति में ही डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस पर समय करीब 1.45 पी.एम. पर आज दिनांक को राजकीय अवकाश होने से उक्त कार्यवाही में दिनांक 30-6-2023 को प्रातः 6.30 बजे दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कराने हेतु जरिये दूरभाष वार्ता की गयी। परिवादी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 30-6-2023 को प्रातः 9.00 बजे कस्बा पीलादर में ही ब्यूरो टीम के इंतजार में उपस्थित रहने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया एवं ब्यूरो एवं ब्यूरो चौकी इन्टे जाप्ते को भी प्रातः 6.00 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 30-6-2023 को समय करीब 6.45 ए.एम. पर पाबन्द शुदा ब्यूरो जाप्ता, ब्यूरो इकाई इंटे उदयपुर से निर्देशानुसार पाबंदशुदा श्री गजेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री अजय कानि. एवं कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर रेंज उदयपुर से श्री करण सिंह हैड कानि उपस्थित कार्यालय हुए। जिन्हें पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही के बारे में अवगत करा इमदाद हेतु कार्यवाही में साथ रहने की हिदायत दी गयी तथा समय करीब 7.00 ए.एम. पर पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर वरिष्ठ सहायक एवं श्री अमरदीप नागदा कनिष्ठ सहायक, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से उपस्थित हुए। जिन्हें पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु लिखित में सहमति चाही गयी तो हर दोनो ने अपनी-अपनी लिखित सहमति प्रदान की गयी। दर्ज रहे है कि दृष्टांत फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रतिक्रिया परिवादी की उपस्थिति में ही प्रदर्शित की जानी है। इस हेतु श्री मांगीलाल कानि को कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर श्री मांगीलाल कानि से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को टेक्सी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवायी जाकर श्री मांगीलाल कानि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर, श्री अमरदीप नागदा,श्री गजेन्द्र कुमार सउनि, श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, श्री करण सिंह हैड कानि, श्री मांगीलाल कानि, श्री अजय कानि, श्री टीकाराम कानि मय ट्रेप बॉक्स, श्री सुरेश कानि, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय टेक्सी वाहन व चालक के पीलादर के लिए रवाना होकर समय करीब 9.20 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता पीलादर कस्बे से थोडी दूर पहले पहुंच परिवादी से संपर्क किया तो परिवादी ने बताया कि रिश्वती राशि की व्यवस्था हो चुकी है और मैं पीलादर कस्बे से कुछ पहले जरियाणा-सराडा रोड स्थित गरमाला घाटी के पास मेरे परिचित की श्री मोतीलाल जेसी कन्स्ट्रक्शन ऑफिस पर हूँ। आप यहां आ जाओ, जिस पर परिवादी के उक्त बताये गये स्थान पर समय करीब 9.15 एएम पर पहुंचे। जहां पर पाबंदशुदा परिवादी उपस्थित मिला तथा समय करीब 9.30 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ते का परिवादी से आपस में परिचय कराया गया। जिसके उपरांत परिवादी द्वारा पूर्व में पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द सही होना बताते हुए अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया था। जिस पर उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 29-6-2023 को परिवादी एवं आरोपी पटवारी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की पुष्टि की। समयाभाव के कारण फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा पृथक से मूर्तिब की जाएगी। तत्पश्चात् समय करीब 9.45 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाश मीणा को आरोपी श्री गणपत लाल मीणा, पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत

राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी श्री प्रकाश मीणा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री मांगीलाल कानि से टेक्सी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त नोटों पर अलग–अलग दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा से लिवायी जाकर उक्त नोटों को श्री मांगीलाल कानि से परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः न छोडते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाए गये। तत्पश्चात् श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री मांगीलाल कानि के दाहिने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आसेपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मांगीलाल कानि से फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया तथा फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री मांगीलाल कानि के पास ही सुरक्षित रखवायी गयी। श्री मांगीलाल कानि के दोनो हाथों एवं उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करे। उपरोक्त निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को बताया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती राशि के लेन देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुनासिब हिदायत के सुपूर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब की गयी। श्री मांगीलाल कानि को मय फिनोफ्थेलीन पाउर की शीशी के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर रवाना होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा आरोपी श्री गणपत लाल मीणा, पटवारी द्वारा की जा रही रिश्वती राशि की मांग के कम में आज दिनांक 30–6–2023 को समय करीब 12.29 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रकाश मीणा को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के पटवार मण्डल पीलादर की ओर रवाना कर पुलिस निरीक्षक द्वारा टेक्सी वाहन ट्वेरा को पटवार मण्डल के कुछ पहले एक ओर साईड में रखवाकर पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, हमराहीयान के परिवादी के पीछे पीछे पटवार मण्डल के आसपास परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में थे कि समय 12.35 पी.एम. पर परिवादी बिना ईशारा किये बाहर आया। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान हमराहीयान को टेक्सी वाहन की तरफ आने का ईशारा किया। जहां पर परिवादी श्री प्रकाश मीणा द्वारा पटवार मण्डल के पास ही खडे श्री टीकाराम कानि को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद कर दिया एवं अवगत कराया कि मेरे कार्य के बारे में एक गवाह के हस्ताक्षर कराने के लिए पटवारी जी ने भेजा है। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायतन गवाह के हस्ताक्षर करा पुनः इसी स्थान पर मिलने हेतु रवाना किया गया। जिसके उपरांत परिवादी कुछ ही समय में उपस्थित आया और बताया कि पटवारी साहब के कहे अनुसार मैंने गवाह की निशानी अंगुष्ठ करवा दी है। जिस पर श्री टीकाराम के द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ही पुनः ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवा सुपूर्द कर समय करीब 12.44 पी.एम. पर रिश्वत लेन देन हेतु पटवार मण्डल के लिए रवाना किया गया। पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, हमराहीयान के पटवार मण्डल के आसपास परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में थे कि समय 12.51 पी.एम. पर ने परिवादी पटवार मण्डल परिसर से बाहर आकर रिश्वती राशि लेन देन के स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर किया। उक्त ईशारे को पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते के द्वारा देखकर पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के तेज–तेज कदमों से परिवादी के पास पहुंचे। जहां पर परिवादी ने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद कर पुलिस निरीक्षक को पेश किया। जिसे उपस्थितिन् के समक्ष अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी ने पटवार मण्डल की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही पटवार मण्डल है। जिसमें सामने के कक्ष में पटवारी साहब अपने कार्यालय कक्ष में टेबल कुर्सी पर बैठे हुए है जिन्होंने मुझसे 20,000 रूपये रिश्वती

राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखे है। जिस पर परिवादी को साथ ले पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता पटवार मण्डल के मैन गेट से प्रवेश सामने स्थित कार्यालय कक्ष में पहुंचे। जहां पर परिवादी ने कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही पटवारी साहब गणपत लाल जी मीणा है जिन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले मेरे मकान का पट्टा बनवाने के लिए मौका रिपोर्ट करने की एवज में मुझसे 20,000 रूपये रिश्वती राशि अपनी मांग अनुसार ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब में रखे है। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री गणपत लाल मीणा पुत्र श्री शिवलाल मीणा मूल निवासी वार्ड नम्बर 8, गांव जहाजपुर तहसील व जिला प्रतापगढ (राज) हाल किराये का निवास मकान नम्बर 366, कृष्णा दूध डेयरी के पास, सुंदरवास, उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल पीलादर तहसील सराडा जिला उदयपुर होना बताया। इस पर पुलिस निरीक्षक ने आरोपी पटवारी से परिवादी की ओर ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी इससे 20,000 रूपये किस बात के ग्रहण किये है तो आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी कुछ देर मौन रहकर खडा रहा। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी पटवारी को तसल्ली देकर पुनः रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैंने ये 20,000 रूपये प्रकाश मीणा के मकान का पट्टा बनाने में मौका रिपोर्ट करने की एवज में लिये है। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी द्वारा रिश्वती राशि अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब में रखना बताया। आरोपी पटवारी के निवास स्थान की खानातलाशी ली जाने हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की या नहीं, जिसकी सत्यता हेतु आरोपी के दोनो हाथो का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष टेक्सी वाहन में से श्री सुरेश जाट कानि से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलास निकलवाकर पटवार मण्डल में प्रयुक्त पीने के पानी के केम्पर से पानी मंगवाकर दोनो कांच के गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो साफ गिलासों में केम्पर से पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन के घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क **आर.एच.-1 व आर.एच.-2** अंकित करा श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। उक्त धोवन के घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क **एल.एच.-1 व एल.एच.-2** अंकित करा श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से आरोपी की बायीं जेब की तलाशी लिवायी गयी तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुछ नोट मिले। **जिन्हें उपस्थितिन् के समक्ष ही स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से गिनवाये गये तो उसमें 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये मिले।** जिनका मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू हुआ। जिस पर पुलिस निरीक्षक के द्वारा बरामदशुदा रिश्वती राशि 20,000 रूपये को एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तदुपरांत पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी गणपत लाल पटवारी को परिवादी से संबंधित कार्य के बारे में पूछा गया तो पटवारी ने उपस्थितिन के समक्ष ही बताया कि प्रकाश जी कुछ दिन पहले मेरे पास आये और उन्होंने उनके बोवस गांव के खसरा नम्बर 3330 में स्थित मकान का पट्टा बनाने में पटवारी रिपोर्ट हेतु मेरे पास कुछ दिन पहले आवेदन लेकर आया था। जिसके संलग्न सरपंच साहब द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि दिये थे। मैंने उक्त दस्तावेजों के आधार पर बोवस गांव के खसरा नम्बर 3330 रकबा 0.22 बा द्वितीय खेती का मौका देखकर जांच रिपोर्ट तैयार की थी। जिस पर मेरे द्वारा गलती से दिनांक 26-6-23 के स्थान पर 26-7-23 अंकित कर दिया। उक्त दस्तावेज की मूल प्रतियां अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित कार्यालय के अधिकारीगण के उपस्थित आने पर संभलाकर दस्तावेजों की छायाप्रति पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु राजस्व अधिकारी के मौके पर उपस्थित आने हेतु तहसील कार्यालय सराडा में जरिये दूरभाष वार्ता की गयी। इसी दौरान पास में खडे परिवादी ने कहा कि इन पटवारी ने कल मुझसे मेरे मकान के पट्टे में पटवारी रिपोर्ट की एवज में 40,000 रूपये की मांगकर 36,000 रूपये रिश्वती राशि लेने हेतु सहमत हुआ एवं 5000 रूपये कल ही पटवारी साहब ने मेरे से ले लिये थे एवं शेष रिश्वती राशि में से 20,000 रूपये लेकर बुलाया जो राशि आज अभी रिश्वत के मांगकर ग्रहण किये। जिस पर आरोपी पटवारी से दिनांक 29-6-2023 को परिवादी से 5000 रूपये ग्रहण की गयी रिश्वती राशि के बारे में पुछा गया तो अपने घर के आवश्यक कार्य में खर्च होना बताया।

क्योकि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब में रखी गयी है। उक्त पेंट की संबंधित जेब का धोवन लिया जाना वांछित होने से आरोपी को दूसरी पेंट के बारे में पूछा गया पटवार भवन में रखी पेंट के बारे में बताये जाने पर आरोपी की दूसरी पेंट मंगवायी जाकर पहनी हुई पेंट को स्वतंत्र गवाहान की निगरानी में सम्मान उतरवायी जाकर दूसरी पेंट पहनाई गयी। उतरवायी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई का धोवन का घोल लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स में से एक कांच के साफ गिलास निकलवाकर पटवार मण्डल में प्रयुक्त पीने के पानी के केम्पर से पानी मंगवाकर उक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात उक्त साफ गिलास में केम्पर से पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें हाजरीन ने भी स्वीकार किया। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी की उतरवायी हुई पेंट डोवर फिट का मार्क लगा हुआ बरंग ग्रे कलर की बायीं जेब को उलटवाकर जेब को कांच के गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त धोवन के घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क **पी-1 व पी-2** अंकित करा श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पेंट की संबंधित जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा एक सफेद कपडे की थैली में रखवा उक्त पेंट पैकेट को मार्क **पी** अंकित करा चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकरश्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट करा कब्जे ब्यूरो ली गयी। जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब की गयी।

तत्पश्चात् समय करीब 03.30 पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक के द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही की गयी तथा समय करीब 04.30 पीएम पर पटवार मण्डल परिसर में ही पास ही राजीव गांधी सेवा केन्द्र है और पटवार मण्डल में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थान पर्याप्त नहीं होने से पुलिस निरीक्षक द्वारा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर कार्यरत श्री जितेश कनिष्ठ सहायक को अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कक्ष चाहा गया तो श्री जितेश कनिष्ठ सहायक ने एक कक्ष उपलब्ध कराया गया। जिसमें अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात् समय करीब 05.00 पी.एम. पर दिनांक 29-6-22 को परिवादी एवं आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री सुरेश कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री सुरेश कानि से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया एवं समय करीब 05.45 पी.एम. पर दिनांक 30-6-22 को परिवादी एवं आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री अजय कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री अजय कानि से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 06.25 पी.एम. पर दिनांक 30-6-22 को परिवादी एवं आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री अजय कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री अजय कानि से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात् समय करीब 07.00 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 29-6-2023 को आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड डलवाकर करवायी गयी थी किन्तु तकनीकी कारण से उक्त वार्ता मेमोरी कार्ड में सेव नहीं होकर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में फोल्डर संख्या 13-6-2023 समय 17.17 में फोल्डर 01 में 230629_0959 में रिकॉर्ड हुई है, उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करा मूल एवं डब सीडीयां तैयार की गयी है। मूल डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में सेव वार्ता का एफएसएल परीक्षण कराना वांछित होने से मूल ही डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बरंग काला सोनी कम्पनी का है, जिसे एक सफेद कपडे की थैली में उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड जिसमें उपरोक्त मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड नहीं हो पायी है किन्तु परिवादी श्री प्रकाश मीणा एवं आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी के मध्य आज दिनांक 30-6-2023 को समय करीब 12.29 पी.एम. एवं 12.44 पी.एम पर रिश्वत राशि लेनदेन वार्तायें सेव होने से उक्त मेमोरी कार्ड को उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर

से निकालकर जरिये फर्द पृथक से जप्त किया किया। तत्पश्चात् समय करीब 07.20 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रकाश मीणा एवं आरोपी श्री गणपत लाल पटवारी के मध्य दिनांक 30–6–2023 को समय करीब 12.29 पी.एम एवं 12.44 पी.एम पर रिश्वत राशि लेन देन वार्ताये सेव होने से उक्त मेमोरी कार्ड बंरग काला किंगस्टन कंपनी का होकर 32 जीबी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से निकाला गया था। जिसे मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक सफेद कपडे की थैली में रख श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया एवं समय करीब 07.35 पी.एम. पर आरोपी श्री गणपत लाल को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु पत्रांक एसपीएल–1 दिनांक 30–6–23 दिया गया। आरोपी ने उक्त पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत् प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 07.45 पी.एम.पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री गणपत लाल मीणा पुत्र श्री शिवलाल मीणा मूल निवासी वार्ड नम्बर 8, गांव जहाजपुर तहसील व जिला प्रतापगढ(राज) हाल किराये का निवास मकान नम्बर 366, कृष्णा दूध डेयरी के पास, सुंदरवास, उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल पीलादर तहसील सराडा जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित होने से श्री गणपत लाल मीणा पटवारी को नियमानुसार गिरफ्तारी वांछित होने से 41 (1) (बी) (1) (2) जा.फौ. का नोटिस दिया जाकर उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 09.00 पी.एम. मौके पर उपस्थित आये श्री कालू लाल मीणा पुत्र श्री शिवराम मीणा निवासी एकलिंगपुरा पुलिस थाना जावरमाईन्स जिला उदयपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक, उप तहसील जयसमंद जिला उदयपुर ने बताया कि वर्ष 2005 से पूर्व के बने हुए बिलानाम भूमि पर निर्मितशुदा मकानों के नियमन हेतु आवेदक संबंधित तहसीलदार को आवेदन करते है। तहसीलदार संबंधित पटवार हल्का के पटवारी को जांच हेतु आदेशित करते है। पटवारी आवेदन पत्र की जांच करते है। पटवारी द्वारा मौका पर्चा तैयार कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करते है। जिसके उपरांत नियमों के अन्तर्गत पाये जाने पर संबंधित तहसील से ही नियमन किया जाता है।

आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये श्री प्रकाश मीणा निवासी बोवस को देखकर बताता हूँ कि श्री प्रकाश मीणा ने बिलानाम खसरा सं. 3330 के मकान नियमन के संबंध में आवेदन किया। जिसके उपरांत श्री गणपत लाल मीणा पटवारी के द्वारा मकान नियमन हेतु जांच रिपोर्ट तैयार की गयी। उक्त जांच रिपोर्ट के उपरांत मौका पर्चा श्री गणपत लाल मीणा पटवारी के द्वारा तैयार किया जाना आज दिनांक तक शेष है। जिस कारण से नियमन संबंधी अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। श्री कालूलाल मीणा भू अभिलेख निरीक्षक ने श्री प्रकाश मीणा के नियमन संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रतियां जो कि श्री चेतराम मीणा नायब तहसीलदार, तहसील सराडा जिला उदयपुर के द्वारा प्रमाणितशुदा प्रस्तुत की। मूल दस्तावेज श्री कालूलाल मीणा भू अभिलेख निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु दुरूस्त हालात में संभलाये गये। श्री कालूलाल मीणा भू अभिलेख निरीक्षक को पटवार मण्डल के कार्यालय कक्ष की चाबी मुनासिब हिदायत के सुपूर्द की गयी।

तत्पश्चात् समय करीब 10.30 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रकाश मीणा को बाद कार्यवाही मुनासिब हिदायत के वही से रूकसत किया गया तथा पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता, स्वतन्त्र गवाहान, जप्त शुदा मालखाना आईटम व आवश्यक संसाधन के गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री गणपत लाल मीणा पटवारी के राजीव गांधी सेवा केन्द्र पीलादर से उदयपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 11.35 पी.एम. पर पुलिस थाना भूपालपुरा पहुच कर आरोपी श्री गणपत लाल मीणा पटवारी को जरिये तहरीर पुलिस थाना भुपालपुरा में सुरक्षा की दृष्टि से जमा करवाया गया। तत्पश्चात् समय 11.50 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी पर पहुच जप्त शुदा मालखाना आर्टिकल आरोपी के दोनो हाथों के धोवन की सीलचिट शुदा शिशियॉ, सीलचिट शुदा सीडियॉ मूल व डब, सीलचिट शुदा रिश्वती राशी, जप्त शुदा मेमोरी कार्ड, जप्त शुदा वाईस रिकॉर्डर व अन्य आर्टिकल को मालखाना प्रभारी श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. को सुरक्षित हालत में सभलवाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहन को आवश्यक हिदायत देकर रूकतस किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री गणपत लाल मीणा पटवारी के द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी के मकान के आबादी पट्टा का मौका पर्चा बनाने एवं उक्त मकान का आबादी पट्टा जारी करवाने की एवज् में श्री गणपत लाल मीणा पटवारी पटवार मण्डल पीलादर द्वारा 40,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई थी। जिस पर रिश्वत राशि मांग की कार्यवाही दिनांक 29.06.2023 को करवाई गई तो मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री गणपत लाल मीणा पटवारी द्वारा 36,000 रूपये रिश्वती राशी लेने हेतु स्वीकृति दी जाकर दौराने मांग सत्यापन 5,000 रूपये रिश्वत राशी ग्रहण की गई तथा शेष राशि में से कुछ हिस्सा दिनांक 30–06–2023 को लेने हेतु हेतु सहमत हुआ, जिस पर स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही की जाकर आरोपी गणपत लाल मीणा हाल पटवारी पटवार मण्डल पीलादर द्वारा दिनांक 30–06–2023 शेष मांग की गई रिश्वती राशि में से 20,000 रूपये ग्रहण करते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया था।

अतः आरोपी श्री गणपत लाल मीणा पुत्र श्री शिवलाल मीणा उम्र–31 वर्ष मूल निवासी वार्ड नम्बर 8, गांव जहाजपुर तहसील व जिला प्रतापगढ (राज) हाल किराये का निवास मकान नम्बर 366, कृष्णा दूध डेयरी के पास, सुंदरवास, उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल पीलादर तहसील सराडा जिला उदयपुर के द्वारा परिवादी श्री प्रकाश मीणा से उसके मकान के आबादी पट्टा का मौका पर्चा बनाने एवं उक्त मकान का आबादी पट्टा जारी करवाने की एवज् में 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर 36,000 रूपये रिश्वत राशी लेने हेतु सहमत हो दौराने मांग सत्यापन वार्ता 5000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई तथा दिनांक 30.06.2023 को पटवारी श्री गणपत लाल मीणा द्वारा शेष राशी में से 20,000 रूपये रिश्वत राशि मांग अनुसार ग्रहण करना अन्तर्गत जुर्म धाराएं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डां. सोमू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गणपत लाल हाल पटवारी, पटवार मण्डल पीलादर, तहसील सराडा, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 168/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

01/7/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2163-66 दिनांक 01.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. कलक्टर, जिला उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

01/7/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।